न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी– सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

निगरानी संख्याः– 31/21 धारा 73 (2) नगर पालिका अधि0 2009 (RCMS No.2021/33)

बुद्धलाल पुत्र श्री जीवनराम जाति कोली निवासी कोलीपाडा गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर अध्यक्ष कोली समाज कल्याण समिति।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. घासीलाल पुत्र श्री जौहरीलाल जाति महावर निवासी सुभाष कॉलोनी बार्ड नम्बर 16 कोलीपाडा गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर।
2. आयुक्त नगर परिषद गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर दिनांक 04.07.2018 बाबत जारी करने पट्टा भूखण्ड संख्या 164–165 नसिया कॉलोनी स्कीम नं0 1 गंगापुरसिटी अंतर्गत धारा 73(2) नगर पालिका एक्ट।

उपस्थितिः–

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।
2. श्री कैलाशचंद अग्रवाल वकील रैस्पोडेन्ट।

नि र्ण य

दिनांक 02.07.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 73(2) नगर पालिका अधिनियम 2009 आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी के द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 04.07.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवेदक अध्यक्ष पंचकोली समाज (संस्था) कोली पाडा गंगापुर सिटी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22.06.2017 को आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी के समक्ष पेश कर स्कीम नं0 1 में भूखण्ड संख्या 164–165 का पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया गया गया। पंचकोली समाज के आवेदन पर कार्यवाही करते हुये नगर परिषद गंगापुर सिटी ने आपत्ति हेतु नोटिस कमांक 5142 दिनांक 30.06.2017 को जारी किया गया। जिसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र समाचार जगत में करवाया गया। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। समयावधि के पश्चात आपत्ति दिनांक 21.11.2017 को आपत्ति प्राप्त हुई, जिसकी सुनवाई दिनांक 18.12.2017 को सुनवाई की गई। उक्त प्रकरण में तत्कालीन नगर सुधार न्यास गंगापुर सिटी के द्वारा कोली समाज को स्कीम नं0 1 में भूखण्ड संख्या 164–165 का आवंटन पत्र कमांक प.स.( ) भूमि आवंटन/न0सु0न्यास/गंगा./68 दिनांक 22.03.1971 को जारी किया गया था। नारायणलाल द्वारा निर्माण स्वीकृति हेतु दिनांक 06.06.1985 को आवेदन किया गया, चूंकि उक्त आवंटन कोली समाज संस्था के लिये किया गया था ना कि व्यक्ति विशेष के लिये इसलिऐ नगर पालिका द्वारा दिनांक 17.06.1985 को नारायणलाल की ओर से प्रस्तुत निर्माण स्वीकृति का आवेदन खारिज कर दिया गया। उक्त कार्यवाही के संबंध में पंचकोली समाज द्वारा उज्रदारी पेश की गई। इसके पश्चात

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

2.7.2024

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दिनांक 18.07.1986 को नारायणलाल को उक्त भूमि पर निर्माण स्वीकृति जारी कर दी गई। इस निर्माण स्वीकृति के खिलाफ कोली समाज की ओर से अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष निगरानी पेश की गई। अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा निर्णय दिनांक 21.10.1986 से निगरानी खारिज कर दी गई। अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 21.10.1986 से व्यथित होकर कोली समाज के द्वारा संभागीय आयुक्त कोटा के समक्ष निगरानी संख्या 94/87 कोली समाज बनाम नारायणलाल पेश की गई। जिसमें संभागीय आयुक्त कोटा ने निर्णय दिनांक 13.10.1997 को पारित करते हुये निर्णय दिया कि भूखण्ड पंचकोली समाज के लिये आवंटित किया गया है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया गया है। आवंटित भूखण्ड पर नारायणलाल का कोई अधिकार नहीं है इसलिऐ नगर पालिका द्वारा दी गई निर्माण स्वीकृति निरस्त की गई और निगरानी पंचकोली समाज के हक में स्वीकार की जाकर अति0 कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 21.10.1986 व नगर पालिका गंगापुरसिटी द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति ओदश दिनांक 18.07.1986 निरस्त किये गये। साथ ही यह निर्देश भी दिये गये कि यदि पंचकोली समाज की ओर से कोई प्रार्थना पत्र नगर पालिका में प्राप्त होता है तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावे। इसके बाद पंच कोली समाज का रजिस्ट्रेशन कमांक 58/स0मा0/2016–17 दिनांक 13.01.2017 को जरिये अध्यक्ष पंचकोली समाज संस्था कोली पाडा गंगापुरसिटी को श्री घासीलाल पुत्र जौहरीलाल महावर ने स्कीम नं0 1 भूखण्ड संख्या 164–165 के पट्टे हेतु नगर परिषद गंगापुरसिटी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। आपत्तीकर्ता बुधराम व रमेश पुत्र नारायणलाल के द्वारा आपस में राजीनामा दिनांक 06.05.2016 को किया गया। राजीनामें में उक्त भूखण्ड कोली समाज का ही रहेगा ऐसा माना गया। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत सिविल रिट पिटीशन नं0 2398/1999 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2013 के द्वारा उक्त भूखण्ड का स्वामित्व (मालिक) पंचकोली समाज को ही माना गया। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर डी0बी0 स्पेशल नं0 431/2013 में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2015 में भी उक्त भूखण्ड का स्वामित्व पंच कोली समाज का ही माना गया। आपत्तिकर्ता बुद्धलाल की आपत्ति निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त होने के बाबजूद भी उसे सुनवाई का अवसर दिया गया। दोनों पक्षों के बयानादि दर्ज किये गये। नगर परिषद की ओर से लिये गये विभिन्न बयान व संलग्न दस्तावेजात तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से पारित किये गये निर्णयो के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता बुद्धलाल की आपत्ति दिनांक 21.11.2017 को मिथ्या व सारहीन होने के कारण खारिज करते हुये अध्यक्ष पंचकोली समाज जरिये श्री घासीलाल पुत्र जौहरीलाल को पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही अमल में लाते हुये नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा अध्यक्ष पंचकोली समाज (संस्था) गंगापुरसिटी के हक में अपीलाधीन पट्टा जारी किये जाने के संबंध में दिनांक 04.07.2018 को आज्ञा जारी की गई। नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से जारी आज्ञा दिनांक 04.07.2018 के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट एवं

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 04.07.2018 के द्वारा विवादित भूखण्ड संख्या 164–165 क्षेत्रफल 64X72 स्कीम नं0 2 नसिया कॉलोनी समाज गंगापुर सिटी जरिये अध्यक्ष घासीलाल के पक्ष में जारी किया गया पट्टा दिनांक 04.07.2018 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है, क्योंकि पूर्व में स्व0 नारायणलाल कोली ने उक्त भूखण्ड की निर्माण स्वीकृति पंचकोली समाज के नाम से जारी नहीं करवा कर अपने व्यक्तिगत नाम से जारी करवाई थी। उक्त स्वीकृति के विरूद्ध अपीलान्ट व समाज के अन्य व्यक्तियों ने अति0 कलक्टर स0मा0 के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी, जो दिनांक 21.10.1986 को खारिज की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट व अन्य लोगों ने संभागीय आयुक्त कोटा के न्यायालय में अपील पेश की। संभागीय आयुक्त कोटा ने निर्णय दिनांक 13.10.1997 के द्वारा अपील स्वीकार कर नगर पालिका गंगापुर सिटी को आदेश दिया कि यदि पंचकोली समाज की ओर से आवेदन पेश किया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही करें। उक्त आदेश के विरूद्ध पहले नारायणलाल ने और उनकी मृत्यु के बाद उसके वारिसों ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ व डबल बैंच में अपील प्रस्तुत की थी, जो अंतिम रूप से दिनांक 27.01.2015 को खारिज कर दी गई। संभागीय आयुक्त कोटा के आदेश दिनांक 13.10.1997 की पालना नहीं होने पर अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अदालत हाजा में पंचकोली समाज बनाम आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र जो कि प्रकरण संख्या 8/17 के रूप में दर्ज किया गया, में अदालत हाजा ने निर्णय दिनांक 20.09.2018 के द्वारा स्वीकार किया गया व नगर परिषद गंगापुर सिटी को जल्दी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। उक्त आदेश में समय सीमा निर्धारित नहीं होने के कारण अपीलान्ट की ओर से पुनः एक रिव्यू प्रार्थना पत्र पंचकोली समाज बनाम आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी के नाम से अदालत हाजा में प्रस्तुत किया गया, जो कि प्रकरण संख्या 20/18 दर्ज होकर अभी भी अदालत हाजा में विचाराधीन है। स्व0 नारायणलाल के पुत्र रमेश ने विवादित भूखण्ड को हडपने के लिये सन 2013 में एक फर्जी संस्था पंचकोली समाज निर्माण समिति गठित की जिसकी जानकारी होने पर अपीलान्ट ने एक एफ आई आर संख्या 215/16 दर्ज कराई। जिसमें समाज के लोगों द्वारा समझाने पर दोनों पक्षों में दिनांक 06.05.2016 को राजीनामा हो गया। इस राजीनामें में रमेश ने अपनी संस्था को भंग करने बाबत सहमति प्रदान की थी। इसके बाद रमेश पुत्र नारायण ने खुद को अलग रखकर समाज के कुछ लोगों को आगे लाकर वर्ष 2017 में एक नई संस्था पंच कोली समाज बनाते हुये इसके माध्यम से पट्टा जारी करवाने हेतु नगर परिषद गंगापुर सिटी में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। इस बारे में अपीलान्ट को जानकारी होते ही अपीलान्ट ने नगर परिषद गंगापुर सिटी में आपत्ति प्रस्तुत की जिस पर दिनांक 18.12.2017 को अपीलान्ट के बयान लिये गये।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

2.7.22

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

बयान लिये जाने के बाद पट्टे संबंधी पत्रावली पर 5–6 महीने तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। दिनांक 04.07.2018 को अपीलान्ट को सूचित किये बिना रैस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में अपीलाधीन आज्ञा जारी करते हुये पट्टा जारी किये जाने का आदेश दिया है, जो कि निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि रैस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने से पूर्व न तो अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर कोई विचार किया गया और न ही विभिन्न न्यायालयों की ओर से पारित किये गये निर्णयों को ही देखा गया। अपीलान्ट व समाज के अन्य लोगों द्वारा शुरू से ही स्वर्गीय नारायण द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की गई निर्माण स्वीकृति के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे लड़े गये हैं तथा सभी लोगों ने वर्ष 2011 में कोली समाज कल्याण समिति के नाम से संस्था गठित की थी। उक्त संस्था ही गंगापुर सिटी के कोली समाज की वैधानिक संस्था है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा सन् 2017 में विवादित भूखण्डों को हड़प करने के उद्देश्य से संस्था का गठन किया गया था। इस संस्था के गठन में रमेश पुत्र नारायण का मुख्य योगदान है। उक्त तथ्य अपीलान्ट द्वारा नगर परिषद के समक्ष रखे गये थे, परन्तु इन्हें नजरअंदाज कर रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 04.07.2018 को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है। नगर परिषद ने अपने आदेश में दिनांक 06.05.2016 के जिस राजीनामा का उल्लेख किया गया है, उसमें रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के पंचकोली समाज का अध्यक्ष होने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। राजीनामे के दिनांक तक रैस्पोडेन्ट संख्या 1 की संस्था का गठन नहीं हुआ था। अपीलान्ट ने रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के यहां भी आपत्ति पेश की थी, परन्तु इन समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर रैस्पोडेन्ट संख्या 2 ने रैस्पोडेन्ट संख्या 1 को लाभ पहुंचाने के लिए राजीनामे का हवाला देकर उक्त पट्टा जारी किया है, जो कि निरस्तनीय है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा फर्जी संस्था गठित होने की जानकारी मिलने पर अपीलान्ट ने रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व संस्था के अन्य लोगों के विरूद्ध व रमेश पुत्र नारायण के विरूद्ध पुलिस थाने में एफ.आई.आर दर्ज कराई गई थी। इस एफ.आई.आर. में जॉच अधिकारी द्वारा एफ.आर. लगाने पर संबंधित न्यायालय ने आदेश दिनांक 03.09.2019 के द्वारा अपीलान्ट की ओर से दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. को खोलने के आदेश दिये गये हैं। इस आदेश में पीठासीन अधिकारी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि इन लोगों का बार–बार संस्था गठित करने का मुख्य उद्देश्य विवादित भूखण्ड को हड़प करना है। उपरोक्त समस्त तथ्य नगर परिषद कार्यालय में होने के बाबजूद रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में नियम विरूद्ध पट्टा नगर परिषद की ओर से दिनांक 04.07.2018 को जारी किया गया है, जो कि निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से जारी पट्टा दिनांक 04.07.2018 की अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 06.01.2021 को नगर परिषद द्वारा अपीलान्ट को एक नोटिस जारी किये जाने पर इसकी जानकारी हुई। जिस पर अपीलान्ट ने नगर परिषद के कार्यालय में जाकर जानकारी प्राप्त की। उक्त पत्रावली दिनांक 15.01.2021 को

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

मिलने पर अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन पट्टे की नकल हेतु आवेदन किया गया। जिसकी नकल दिनांक 21.01.2021 को प्राप्त होने पर अन्दर मियाद अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। जिसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र का रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश किया गया। जिससे स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से अपीलाधीन पट्टे के बारे में जानकारी रही हो। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन पट्टा दिनांक 04.07.2018 जो कि नियम विरूद्ध जारी किया गया है, को निरस्त किये जाने का आदेश जारी किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुये वकील रैस्पोडेन्टस ने तर्क दिया कि नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से अपीलाधीन पट्टा अध्यक्ष पंचकोली समाज (संस्था) गंगापुर सिटी के नाम दिनांक 04.07.2018 को जारी किया गया है, जो कि रिकार्ड व तथ्यों के आधार पर जारी किया गया। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में संस्था को पक्षकार नहीं बनाकर रैस्पोडेन्ट को व्यक्तिगत नाम से पक्षकार बनाया गया है। जबकि नगर परिषद की ओर से रैस्पोडेन्ट के नाम कोई पट्टा जारी नहीं किया गया। इसलिए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में पंचकोली समाज जो कि उक्त अपील में आवश्यक पक्षकार को पार्टी नहीं बनाये जाने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है। इसके अलावा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने के कारण मियाद संबंधी बिन्दु पर भी खारिज किये जाने योग्य है, क्योंकि अपीलान्ट को इस तथ्य की जानकारी वर्ष 1997 से ही है कि विवादित भूखण्ड के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में उभयपक्षकारान के मध्य वाद चले हैं। अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील में अपीलाधीन पट्टे की जानकारी दिनांक 06.01.2021 को नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से जारी किये गये नोटिस से होने का उल्लेख किया गया है। जबकि उक्त प्रकरण में विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नगर परिषद द्वारा उक्त पट्टा जारी किया गया है। इसके अलावा भी अदालत हाजा की ओर से दिनांक 20.09.2018 को दिये गये निर्देशों के संबंध में भी अपीलान्ट को पूर्ण जानकारी रही है। इसके बाबजूद उपरोक्त तथ्यों को छिपाकर दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित करते हुये अदालत हाजा में मियाद बाहर अपील पेश की है, जो कि मियाद के आधार पर निरस्तनीय है।

वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट की संस्था के रजिस्टर्ड होने का कोई दस्तावेज न तो नगर परिषद कार्यालय में और न ही अदालत हाजा में अपीलान्ट की ओर से पेश किया गया। दूसरी ओर अध्यक्ष पंचकोली समाज के पक्ष में नगर परिषद की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से पारित विभिन्न निर्णयों की पालना में एम्पावर्ड कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के कम में विवादित भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। अपीलान्ट की ओर से रैस्पोडेन्ट को परेशान करने की गरज से उक्त अपील अदालत हाजा में पेश की गई है, जबकि अध्यक्ष पंचकोली समाज की ओर से पट्टे व लीज की राशि नगर परिषद

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कार्यालय में पूर्व में ही जमा कराई जा चुकी है। अपीलान्ट की ओर से यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि अध्यक्ष पंचकोली समाज के नाम से नगर परिषद द्वारा पट्टा जारी किये जाने से उसके हित किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं। उक्त प्रकरण में नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा अध्यक्ष पंचकोली समाज की ओर से प्रस्तुत किये गये आवेदन के आधार पर प्रकरण का पूर्ण परीक्षण करने के बाद अध्यक्ष पंचकोली समाज के पक्ष में नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। अदालत हाजा की ओर से जारी आदेश दिनांक 20.09.2018 के पेज नंबर 2 में भी पंचकोली समाज का उल्लेख किया गया है। अपीलान्ट ने अध्यक्ष कोली समाज कल्याण समिति की ओर से उक्त अपील पेश की है, जिसका पंचकोली समाज से कोई संबंध नहीं है। उक्त संस्था का गठन दिनांक 13.01.2017 को किया गया है। अपीलान्ट का उक्त संस्था से न तो कोई संबंध ही है और न ही उसके हित किसी प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं। नगर परिषद की ओर से समाज के नाम से पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति आदि जारी करने के बाद मौका रिपोर्ट प्राप्त करने व विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में दिये गये निर्देशों को मध्यनजर रखते हुये पंचकोली समाज के नाम से नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा पट्टा दिनांक 04.07.2018 को जारी किया गया है। जिसमें नियमों की पूर्ण पालना की गई है। इसलिए अपील अपीलान्ट मियाद संबंधी व गुणावगुण दोनों आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से अध्यक्ष पंचकोली समाज गंगापुर सिटी के पक्ष में जारी की गई आज्ञा दिनांक 04.07.2018 व इसकी पालना में अध्यक्ष पंचकोली समाज के नाम से जारी किये गये पट्टे को यथावत रखा जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि मियाद के संबंध में अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है, जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश किया गया। जिससे स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन पट्टे के संबंध में प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जावे। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि संस्था की ओर से नगर परिषद गंगापुर सिटी में पट्टे के लिए किये गये आवेदन में अदालत हाजा में लम्बित प्रकरण के बारे में तथ्य को छिपाया गया है। यदि अपीलान्ट को अपीलाधीन पट्टे के बारे में जानकारी होती तो अदालत हाजा में रिव्यू का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता। नगर परिषद की ओर से अपीलान्ट की संस्था को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन पट्टा जारी किया गया है। जहां तक अपीलान्ट का विवादित भूखण्ड से संबंध होने का प्रश्न है तो अपीलान्ट 1985 से उक्त प्रकरण में मुकदमा लड़ रहा है। इनमें रैस्पोडेन्ट की ओर से कभी इस तरह की कोई आपत्ति नहीं की गई कि

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट समाज की ओर से अधिकृत नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिका में भी अपीलान्ट पक्षकार था। वकील रैस्पोडेन्ट का यह कथन गलत है कि अपीलान्ट की संस्था का पंजीयन वर्ष 2017 में हुआ है, बल्कि अपीलान्ट की संस्था का पंजीयन वर्ष 2011 में ही हो चुका है। रैस्पोडेन्ट की ओर से नगर परिषद में गलत तथ्य प्रस्तुत कर पंचकोली समाज के पक्ष में नगर परिषद से पट्टा जारी कराया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से जारी पट्टा निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन पट्टा संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन पट्टा दिनांक 04.07.2018 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 02.03.2021 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मीमो आफ अपील के साथ पेश किया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 06.01.2021 को नगर परिषद द्वारा नोटिस प्राप्त होने पर अपीलाधीन पट्टे के बारे में जानकारी करने पर होने दिनांक 15.01.2021 को नकल हेतु आवेदन करने तथा दिनांक 21.01.2023 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश करने का उल्लेख किया गया है। इसके समर्थन में शपथ पत्र पेश किया गया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश किया है और न ही किसी प्रकार का कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर अपील को खारिज किये जाने से बचना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज नहीं करना चाहिए। इस आधार पर भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील को अन्दर मियाद माना जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से की गई यह आपत्ति की अपीलान्ट की ओर से अध्यक्ष पंचकोली समाज को पक्षकार नहीं बनाया जाकर रैस्पोडेन्ट को व्यक्तिगत नाम से पक्षकार बनाया गया है। इसलिए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील आवश्यक पक्षकार के अभाव में चलने योग्य नहीं है तो इस संबंध में हमारा अभिमत यह है कि नगर परिषद गंगापुर सिटी में रैस्पोडेन्ट की ओर से ही अध्यक्ष पंचकोली

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

समाज की हैसियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर नगर परिषद के द्वारा अपीलाधीन पट्टा अध्यक्ष पंचकोली समाज के नाम से जारी किया गया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से इस तरह की कोई आपत्ति या दस्तावेज पेश नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट होता हो कि रैस्पोडेन्ट पंचकोली समाज का वर्तमान में प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हों या अन्य कोई अध्यक्ष हो ऐसी स्थिति में यही माना जायेगा की अपीलान्ट की ओर से रैस्पोडेन्ट को अध्यक्ष पंचकोली समाज की हैसियत से उक्त अपील में पक्षकार बनाया गया है। वकील रैस्पोडेन्ट का यह तर्क भी कि अपीलाधीन पट्टे से अपीलान्ट का कोई वास्ता नहीं है व उक्त पट्टे के विरूद्ध अपीलान्ट को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है तो इस संबंध में भी हमारा अभिमत यह है कि अपीलाधीन पट्टे संबंधी पत्रावली में लगे दस्तावेज व अदालत हाजा में पेश की गई अपील के साथ संलग्न दस्तावेज से स्पष्ट है कि अपीलान्ट विवादित भूखण्ड के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में दायर हुये प्रकरण में पक्षकार रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को अपीलाधीन पट्टे के विरूद्ध अपील पेश करने का पूर्ण अधिकार है।

जहां तक अपीलाधीन पट्टे के गुणावगुण का प्रश्न है तो नगर सुधार न्यास गंगापुर सिटी की ओर से कोली समाज गंगापुर सिटी को जरिये नारायण लाल कोली पुत्र लोहडया राम को धर्मशाला निर्माण हेतु योजना संख्या 1 का भूखण्ड संख्या 164–165 क्षेत्रफल 64x72 वर्गगज भूमि दिनांक 22.03.1971 को आवंटित की गई थी। उक्त भूखण्ड पर धर्मशाला निर्माण हेतु नारायणलाल द्वारा नगर पालिका गंगापुर सिटी में एक प्रार्थना पत्र निर्माण स्वीकृति हेतु दिनांक 06.06.1985 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रार्थना पत्र को नगर पालिका की ओर से दिनांक 17.06.1985 को इस आधार पर खारिज किया गया कि उक्त भूखण्ड संख्या 164–165 पंचकोलियान के नाम आवंटित किया गया है। किसी व्यक्ति विशेष को निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। पंचकोलियान की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर नक्शा स्वीकृत किया जा सकता है। पंचकोलियान की ओर से नगर पालिका में प्रस्तुत की गई आपत्ति का भी उल्लेख किया गया है। इसके बाद नगर पालिका गंगापुर सिटी की ओर से नारायणलाल को दिनांक 10.07.1986 को निर्माण स्वीकृति जारी की गई। उक्त निर्माण स्वीकृति के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपील दिनांक 21.10.1986 को खारिज कर दी गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 21.10.1986 के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से संभागीय आयुक्त न्यायालय कोटा में अपील प्रस्तुत किये जाने पर निर्णय दिनांक 13.10.1997 के द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 21.10.1986 एवं नगर पालिका गंगापुर सिटी की ओर से नारायण लाल के पक्ष में दिनांक 18.07.1986 को जारी की गई निर्माण स्वीकृति को निरस्त करते हुये यह आदेश दिया गया कि पंचकोली समाज

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

की ओर से यदि कोई प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है तो उस पर नगर पालिका नियमानुसार कार्यवाही करे।

संभागीय आयुक्त कोटा की ओर से पारित आदेश दिनांक 13.10.1997 के विरूद्ध नारायण लाल की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में सिविल रिट पिटीशन नंबर 2398/1999 प्रस्तुत की गई। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से दिनांक 19.02.2013 को आदेश पारित किया गया। इस निर्णय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में संभागीय आयुक्त कोटा की ओर से पारित निर्णय दिनांक 13.10.1997 में किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं होना मानकर नारायण लाल की ओर से प्रस्तुत रिट याचिका को यह अभिमत देते हुये खारिज किया गया कि पंचकोली समाज को आवंटित भूमि पर नारायण लाल द्वारा व्यक्तिगत कोई निर्माण नहीं करवाया जा सकता। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ की ओर से पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 19.02.2013 के विरूद्ध नारायण लाल के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की डबल बैन्च में स्पेशल अपील रिट नंबर 431/2013 प्रस्तुत की गई। उक्त रिट याचिका को भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 27.07.2015 के द्वारा खारिज करते हुये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ की ओर से पारित निर्णय व संभागीय आयुक्त कोटा के द्वारा पारित निर्णय में किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं होना माना।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से उपरोक्त आदेश पारित किये जाने के बाद अध्यक्ष पंचकोली समाज संस्था गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर की ओर से रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा दिनांक 22.06.2017 को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 05.02.1971 को रसीद नंबर 1567 से तथा दिनांक 19.06.1970 को रसीद संख्या 866 भूमि आवंटन आदेश दिनांक 22.03.1971 में नजराने जमा हो चुके हैं। अतः पट्टा जारी किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की प्रतियां व कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सवाई माधोपुर की ओर से अध्यक्ष पंचकोली समाज संस्था गंगापुर सिटी संस्था का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन किये जाने के पत्र व प्रमाण पत्र एवं विधान नियमावली की प्रति प्रस्तुत की। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नगर परिषद की ओर से दिनांक 22.06.2017 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा दिनांक 30.06.2017 को स्थानीय समाचार पत्र समाचार जगत के माध्यम से आपत्ति मांगी गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई, परन्तु अपीलान्ट की ओर से दिनांक 21.11.2017 को नगर परिषद में आपत्ति प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत की गई आपत्ति के संबंध में अपीलान्ट को आपत्ति के संबंध में दिनांक 18.12.2017 को उपस्थित होकर पक्ष रखे जाने हेतु नगर परिषद के द्वारा लिखा गया। नियत दिनांक को अपीलान्ट के नगर परिषद कार्यालय में उपस्थित होने पर अपीलान्ट बुद्धलाल पुत्र जीवनराम व रैस्पोडेन्ट घासीलाल पुत्र जोहरीलाल के बयान दर्ज किये गये। अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के द्वारा दिये गये बयानों पर ही अन्य व्यक्तियों के भी हस्ताक्षर हो रखे हैं, जो कि

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलाधीन पट्टे संबंधी पत्रावली में संलग्न है। अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के बयान लेने के बाद प्रकरण के संबंध में समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुये पत्रावली आयुक्त नगर परिषद को प्रस्तुत की गई। जिसमें यह प्रस्ताव दिया गया कि राज्य सरकार के पत्रांक प.3(62)नगर पालिका/68 दिनांक 09.08.1968 के अनुसार नसिया कॉलोनी स्थित भूखण्ड संख्या 164–165 कोली समाज की धर्मशाला हेतु स्वीकृत दर की आधी दर पर समाज की पंचायत को आवंटन किया जावे। जिस पर आयुक्त द्वारा एम्पावर्ड कमेटी के समक्ष पत्रावली रखे जाने के निर्देश दिये गये। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 10.11.2017 में उक्त भूखण्ड का आवंटन किये जाने की स्वीकृति दिये जाने पर पंजीकृत संस्था पंचकोली समाज गंगापुर सिटी के अध्यक्ष के नाम से पट्टा दिये जाने का प्रस्ताव आयुक्त द्वारा दिये जाने पर सभापति द्वारा दिनांक 11.05.2018 को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये।

इसके बाद पुनः प्रकरण के संबंध में वस्तुस्थिति का उल्लेख करते हुये यह टिप्पणी की गई कि आपत्तिकर्ता श्री बुद्धलाल द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों व आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। पंचकोली समाज की ओर से जरिये अध्यक्ष घासीलाल पुत्र जोहरीलाल ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या 164–165 का पट्टा जारी करने का निवेदन किया है। संस्था का रजिस्ट्रेशन दिनांक 13.01.2017 को हो चुका है। पट्टा जारी किये जाने से पूर्व आपत्ति नोटिस दिनांक 30.06.2017 को जारी किया गया था। जिसका समाचार जगत में प्रकाशन हो चुका है। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। समयावधि के बाद दिनांक 21.11.2017 को आपत्ति प्राप्त हुई है। तत्कालीन नगर सुधार न्यास गंगापुर सिटी की ओर से कोली समाज को स्कीम नंबर 1 में भूखण्ड संख्या 164–165 का आवंटन पत्र दिनांक 22.03.1971 को जारी किया गया है। जिसकी नजराना राशि जमा हो चुकी है। विधि सलाहकार की राय दिनांक 15.03.2016 व तत्कालीन आयुक्त के निर्णय दिनांक 16.03.2016 व वार्ड पार्षद के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पंचकोली समाज के नाम से कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं होने के कारण निर्माण स्वीकृति की पत्रावली निरस्त की गई है। संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 13.10.1997 के अनुसार भूखण्ड कोली समाज हेतु नगर सुधार न्यास गंगापुर सिटी की ओर से आवंटित किया गया है, जो कि किसी व्यक्ति विशेष को नहीं होकर पंचकोली समाज को किया गया है। आवंटित भूखण्ड पर नारायणलाल का कोई अधिकार नहीं होने के कारण स्वीकृति निरस्त की गई है। पंचकोली समाज का रजिस्ट्रेशन दिनांक 13.01.2017 को होने के कारण अध्यक्ष पंचकोली समाज गंगापुर सिटी की ओर से स्कीम नंबर 1 के भूखण्ड संख्या 164–165 के पट्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आपत्तिकर्ता बुद्धलाल व रमेश चन्द पुत्र नारायणलाल के मध्य आपस में राजीनामा दिनांक 06.05.2016 को हो चुका है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर सिविल रिट पिटीशन नंबर 2398/1999 व डीबी स्पेशल 431/2013 में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2013 व 27.07.2015 में उक्त भूखण्ड का स्वामी पंचकोली समाज को माना गया है। उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुये नगर परिषद की ओर से यह निर्णय लिया

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

गया कि राज्य सरकार के पत्रांक प.3 (62)न.अ./68 दिनांक 09.08.1968 के अनुसार नसिया कॉलोनी स्थित भूखण्ड संख्या 164–165 कोली समाज की धर्मशाला हेतु स्वीकृत दर की आधी दर पर समाज की पंचायत को आवंटन किया जावे। अपीलान्ट आपत्तिकर्ता श्री बुद्धराम की ओर से निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त हुई आपत्ति के संबंध में भी यह उल्लेख किया गया कि आवेदनकर्ता अध्यक्ष पंचकोली समाज व आपत्तिकर्ता के बयान लिये गये हैं। उक्त बयानों व पत्रावली में शामिल दस्तावेजों जैसे आवंटन पत्र, नजराना रसीद, संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 13.10.1997, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर सिविल रिट पिटीशन नंबर एस.बी. 2398/1999 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2013 व माननीय उच्च न्यायालय जयपुर डीबी स्पेशल नंबर 431/2013 के निर्णय दिनांक 27.07.2015 की पालना में अपीलान्ट की आपत्ति दिनांक 21.11.2017 को आधारहीन होना मानकर खारिज करते हुये आवेदक अध्यक्ष पंचकोली समाज जरिये श्री घासीलाल पुत्र जोहरीलाल को पट्टा जारी किये जाने संबंधी अग्रिम कार्यवाही किये जाने व बकाया लीज राशि जमा कराते हुये पट्टा जारी किये जाने का आदेश दिनांक 04.07.2018 को जारी किया गया है।

उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा अदालत हाजा में जो अपील पेश की गई है कि उसमें उल्लेख किया गया है कि विवादित भूखण्ड को हड़पने के उद्देश्य से 2013 में स्वर्गीय नारायणलाल के पुत्र रमेशचन्द द्वारा एक फर्जी संस्था पंचकोली समाज निर्माण समिति गठित की थी, जिसकी जानकारी होते ही अपीलान्ट की ओर से एफ.आई.आर संख्या 215/16 दर्ज कराई थी। जिसमें दोनों पक्षों के मध्य दिनांक 06.05.2016 को राजीनामा हो गया था। जिसमें रमेश ने अपनी संस्था को भंग करने की सहमति प्रदान की थी। इसके बाद रमेश ने स्वयं को अलग रखते हुये 2017 में एक नई संस्था पंचकोली समाज गठित करते हुये नगर परिषद में पट्टे हेतु आवेदन करवाया। उक्त संस्था को नगर परिषद के द्वारा गलत पट्टा जारी किया गया है, क्योंकि अपीलान्ट व समाज के अन्य लोगों द्वारा शुरू से ही स्वर्गीय नारायण लाल द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की गई निर्माण स्वीकृति के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे लड़े थे तथा सभी लोगों ने सन् 2011 में कोली समाज कल्याण समिति के नाम से संस्था गठित की है, जो कि गंगापुर सिटी के कोली समाज की एक वैधानिक संस्था है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा सन् 2017 में उक्त समिति का गलत रूप से गठन किया गया है। इसकी जानकारी होते ही अपीलान्ट ने रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व रमेशचन्द के विरूद्ध पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी, जिसमें संबंधित थाने द्वारा एफ.आर. लगाये जाने पर संबंधित सिविल न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 03.09.2019 के द्वारा एफ.आर. को पुनः खोलने का आदेश दिया गया है। इस आदेश में पीठासीन अधिकारी ने यह स्पष्ट लिखा है कि इन लोगों का बार–बार संस्था गठित करने का मुख्य उद्देश्य विवादित भूखण्ड को हडप करना है। उपरोक्त समस्त तथ्य अपीलान्ट की ओर से नगर परिषद कार्यालय में भी प्रस्तुत किये गये थे, परन्तु इन सबको नजरअंदाज कर रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में गलत पट्टा जारी किया गया है। अपीलान्ट की ओर

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

से प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन पट्टे संबंध मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से अपीलाधीन पट्टा दिनांक 04.07.2018 व्यक्ति विशेष के नाम से जारी नहीं कर पंचकोली समाज की ओर से जारी किये जाने का आदेश जारी किया गया है। अपीलाधीन पट्टे संबंधी पत्रावली में लगे संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 13.10.1997 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ की ओर से एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नंबर 2398/1999 में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2013 व डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) नंबर 431/2013 में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2015 में भी पंचकोली समाज को भूखण्ड आवंटित किये जाने में कोई अनियमितता नहीं होना माना है। इसके अलावा अपीलान्ट ने पंचकोली समाज गंगापुर सिटी की ओर से अदालत हाजा में संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 13.10.1997 की पालना नहीं किये जाने के संबंध में अवमानना संबंधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो कि अदालत हाजा में प्रार्थना पत्र संख्या 8/17 दर्ज किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट ने आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी, रमेश व लज्जाराम पुत्र नारायणलाल तथा कान्ता बाई पत्नि पूरनचंद को अप्रार्थीगण बनाया गया था। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अदालत हाजा की ओर से दिनांक 20.09.2018 को यह आदेश पारित किया है कि प्रार्थी का अवमानना प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा नगर पालिका गंगापुर सिटी को निर्देश दिये जाते हैं कि न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 13.10.1997 के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही करें। संभागीय आयुक्त कोटा की ओर से पारित निर्णय दिनांक 13.10.1997 में नगर पालिका गंगापुर सिटी की ओर से नारायणलाल के पक्ष में जारी की गई निर्माण स्वीकृति को निरस्त करते हुये नगर पालिका को यह निर्देश दिये गये थे कि पंचकोली समाज की ओर से यदि कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर नगर पालिका नियमानुसार कार्यवाही करें। नगर परिषद गंगापुर सिटी में जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह आवेदन पत्र जरिये अध्यक्ष पंचकोली समाज संस्था कोलीपाड़ा गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के संबंध में नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से प्रकरण का पूर्ण परीक्षण करने के बाद अध्यक्ष पंचकोली समाज (संस्था) गंगापुर सिटी की ओर से अपीलाधीन पट्टा दिनांक 04.07.2018 को जारी किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है। अपीलान्ट की ओर से स्वयं की संस्था का पंजीयन वर्ष 2011 में होने का उल्लेख किया गया है, परन्तु पंचकोली समाज के नाम से विवादित भूखण्ड का पट्टा दिये जाने के संबंध में किसी प्रकार का कोई आवेदन नगर परिषद गंगापुर सिटी में रैस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के पूर्व प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही इस तरह का कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत किया गया। जिससे स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट की ओर से विवादित भूखण्ड के संबंध में नगर परिषद गंगापुर सिटी में रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

प्रस्तुत किया गया हो तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र के लम्बित रहते हुये नगर परिषद द्वारा रैस्पोडेन्ट की संस्था के पक्ष में गलत पट्टा जारी किया गया हो। उपरोक्त प्रकरण में संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.10.1997 में पंचकोली समाज की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश नगर पालिका को दिये गये हैं। इस निर्णय को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ व डबल बैंच ने भी उचित माना है। चूंकि नगर परिषद गंगापुर सिटी के कार्यालय में रैस्पोडेन्ट की ओर से अध्यक्ष पंचकोली समाज की ओर से आवेदन पत्र पेश किया गया है, जिसका समुचित परीक्षण करने के बाद नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से पंचकोली समाज के पक्ष में विवादित भूखण्ड का पट्टा जारी किये जाने की आज्ञा दिनांक 04.07.2018 को जारी की गई है व उक्त आज्ञा की पालना में अध्यक्ष पंचकोली समाज गंगापुर सिटी के नाम से पट्टा जारी किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील में जिस नारायणलाल व उसके पुत्रों का उल्लेख किया गया है न तो उनके नाम से और न ही रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के व्यक्तिगत नाम से नगर परिषद के द्वारा कोई पट्टा जारी किया गया है। जहां तक अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की ओर से कोली समाज हेतु पंजीबद्ध कराई गई संस्था की वैधानिकता का प्रश्न है तो उक्त विषय के संबंध में अदालत हाजा द्वारा किसी तरह का कोई अभिमत दिया जाना उचित नहीं है। इसके लिए अपीलान्ट सक्षम न्यायालय/कार्यालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से अध्यक्ष पंचकोली समाज (संस्था) गंगापुर सिटी के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने के संबंध में दिये गये आदेश दिनांक 04.07.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 02.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर